

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**नियुक्ति अनुभाग-2**  
**संख्या- 76/2018/2024 /दो-2-2018-28/2(105)/2012**  
**लखनऊ: दिनांक: 20 जून, 2018**  
**आदेश**

श्री राम नारायण पटेल, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-76842 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री राम नारायण पटेल, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-19/मिलान डायरी-586/10442, दिनांक 02-05-2018 के अनुसार वर्ष 2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-20,04,058/- (रू0-बीस लाख चार हजार अट्ठावन मात्र) जिसमें माह 3/2017 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-18,03,652.02 अर्थात् रू0-18,03,652.00 (रूपये अट्ठारह लाख तीन हजार छः सौ बावन मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री राम नारायण पटेल के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

**(धनन्जय शुक्ल)**  
**संयुक्त सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, कौशाम्बी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री राम नारायण पटेल, पी0सी0एस0, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कौशाम्बी सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कौशाम्बी।
- 4- श्री राम नारायण पटेल, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ग्राम-कलीपुर, पोस्ट-छाता, मउआइया, जिला-इलाहाबाद।

**आज्ञा से,**

**(राजेश प्रताप सिंह)**

**उप सचिव।**

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पेंशन निदेशालय,  
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

**नियुक्ति अनुभाग-2**

**लखनऊ: दिनांक: 20 जून, 2016**

विषय:- श्री राम नारायण पटेल, पी0सी0एस0 के पेंशन प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री राम नारायण पटेल, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन/उपादान प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राम नारायण पटेल के पक्ष में पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें। श्री राम नारायण पटेल के पक्ष में अदेयता पृथक से निर्गत की जायेगी।

**संलग्नक:-यथोक्त ।**

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि श्री राम नारायण पटेल, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ग्राम-कलीपुर, पोस्ट-छाता, मउआइया, जिला-इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या-76 /2018/2024 /दो-2-2018-28/2(102)/2012  
लखनऊ: दिनांक: 20 जून, 2018

श्री राम नारायण पटेल, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

(धनन्जय शुक्ल)  
संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- श्री राम नारायण पटेल, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-ग्राम-कलीपुर, पोस्ट-छाता, मउआइया, जिला-इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)  
उप सचिव।